IS 15700:2018

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता-गाजियाबाद वृत्त,

वसुन्धरा काम्प्लैक्स, सैक्टर-16ए, वसुन्धरा, गाजियाबाद,

दूरभाष सं0-0120-4133277, ई-मेल-circle7@upavp.com

भारतीय मानक ब्यूरो IS15700

पत्र सं0- 2300 / ENG-UB / 59 **दिनांकः-** 12.06.2025

अल्पकालीन ई–निविदा सूचना

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की ओर से, परिषद में वांछित श्रेणी में पंजीकृत अनुभवी ठेकेदारों/फर्मो से ई–निविदा एकल/टू–बिड पद्वति के माध्यम से निम्नांकित विवरण के अनुसार आमंत्रित की जाती है, जो उपस्थित निविदादाताओं या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में सम्बंधित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड गाजियाबाद–02, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, वसुन्धरा गाजियाबाद स्थित कार्यालय में निम्न विवरण के अनुसार खोली जायेगी। कार्यो की मात्राए बी0ओ0क्यू0 के अनुसार होगी, जो घट या बढ़ सकती है। ई–प्रोक्योरमेंट सोल्यूशन द्वारा निविदाएं निम्नानुसार खोली जाएगी।

क्र0 सं0	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत (रू0 लाख में)	धरोहर धनराशि	कार्य पूर्ण करने की अवधि	निविदा प्रोसेसिंग शुल्क (रू में)	निविदा पद्वति	खण्ड का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सिद्वार्थ विहार योजना, गाजियाबाद में 50.00 मी0 चौड़ी मुख्य सड़क के दोनो तरफ 9.00 मी0 चौड़ी सर्विस रोड तथा आर0सी0सी0 ट्रंक नालियों एवं पुलियों का निर्माण कार्य।	**2750 + जी0एस0टी0 अतिरिक्त** { (i) बिटुमीनियस सर्विस रोड निर्माण की अनुमानित लागत 750 लाख + GST अतिरिक्त (ii) RCC ट्रंक नालियों एवं पुलियों के निर्माण की अनुमानित लागत 2,000 लाख + GST अतिरिक्त }	55 लाख	15 माह	7500 + 18% जीएसटी	टू–बिड	अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड गाजियाबाद–02
2	संजय विहार योजना संख्या–2, हापुड़ में सड़कों के सुदृढ़ीकरण एवं 16 नग पार्को की मरम्मत का कार्य।	**100 + जी0एस0टी0 अतिरिक्त** { (i) बिटुमीनियस सड़कों के सुदृढ़ीकरण की अनुमानित लगात 75 लाख + GST अतिरिक्त (ii) 16 नग पार्को की मरम्मत की अनुमानित लागत 25 लाख + GST अतिरिक्त }	2 लाख	06 माह	4500 + 18% जीएसटी	टू–बिड	
3	सिद्वार्थ विहार योजना, गाजियाबाद के सेक्टर–2 में निर्मित एस0टी0पी0 से शोधित जल के विक्रय का कार्य।	**उच्चतम बोली हेतु बेस प्राईस रु0–5.00 प्रति किलो लीटर**	10,000.00 रू	365 दिन	500 + 18% जीएसटी	सिंगल बिड	

नियम एवं शर्तेः–

1. निविदा शुल्क एवं धरोहर धनराशि NEFT/RTGS के माध्यमं से निविदा में उल्लेखित बैंक खाते में ही जमा करायी जायेगी (विवरण निम्न प्रकार है), जो कि निर्धारित तिथि व समय तक डाली/अपलोड की जानी होगी।

खण्ड का नाम	बैंक का नाम	खाता संख्या	IFSC CODE	निविदा क्र0सं0
अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड गाजियाबाद–02, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, वसुन्धरा, गाजियाबाद।	**Indian Bank, Vasundhara, Ghaziabad**	**50017120249**	**IDIB000V515**	**1,2,3**

2. महत्वपूर्ण तिथियां:–

क्र0स0	विवरण	दिनांक	समय	निविदा क्र0सं0
1	निविदा डाउनलोड/अपलोड/आर0टी0जी0एस0 करने की प्रारम्भ तिथि	16.06.2025	पूर्वान्ह् 10:00 बजे से	1,2,3
2	धरोहर राशि की आर0टी0जी0एस0. करने की अन्तिम तिथि	29.06.2025	अपरान्ह् 12:00 बजे तक	1
		25.06.2025		2
		18.06.2025		3
3	निविदा अपलोड करने की अन्तिम तिथि	29.06.2025	अपरान्ह् 12:00 बजे तक	1
		25.06.2025		2
		18.06.2025		3
4	बिड खोले जाने की तिथि	30.06.2025	अपरान्ह् 15.00 बजे	1
		26.06.2025		2
		19.06.2025		3

3. निविदा खोले जाने की तिथि को अवकाश घोषित होने की स्थिति में, निविदाएं अगले कार्य दिवस में खोली जायेंगी।
4. निविदा की वैधता, निविदा खुलने की तिथि से तीन माह की होगी, जिसके लिये निर्धारित प्रारुप में रू0–100/–का नॉन जूडिशियल स्टाम्प पेपर रू0–1/– की रेवेन्यू स्टाम्प सहित हस्ताक्षरित हो, की स्कैन कापी निविदा के साथ ई–टेण्टर पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
5. निविदादाता फर्म को आयकर विभाग/जी0एस0टी0 एवं लेबर सेस हेतु सम्बन्धित विभाग में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा, जिसकी प्रमाणित प्रति निविदा के साथ संलग्न की जानी आवश्यक होगी। तथा उसके सभी देयकों लेबर–सेस, इन्कम टैक्स एवं अन्य कर जो सरकार द्वारा लागू किया जाता है, की कटौती नियमानुसार की जायेगी।
6. सशर्त निविदा पर विचार नही किया जायेगा।
7. बी0ओ0क्यू0 की दरों में जी0एस0टी0 को छोड़कर अन्य समस्त कर सम्मिलित है, जी0एस0टी0 नियमानुसार अतिरिक्त देय होगी। सभी देयकों से आयकर, लेबर सेस व अन्य कर, जो उ0प्र0 सरकार/भारत सरकार द्वारा लागू किया जाता है, की कटौती नियमानुसार की जायेगी। जी0एस0टी0 का तत्समय प्रभावी शासनादेशों/परिषद आदेश के अन्तर्गत निर्धारित दरों के अनुसार एवं फर्म द्वारा जी0एस0टी0 Invoice प्रस्तुत करने के उपरान्त, नियमानुसार अलग से भुगतान किया जायेगा।
8. किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को अपरिहार्य कारणवश निरस्त करने का अधिकार सक्षम अधिकारी को सुरक्षित रहेगा।
9. निविदा प्रपत्र, परिषद की वेबसाईट www.upavp.com एवं उ0प्र0 इलैक्ट्रोनिक कॉरपोरेशन की वेबसाईट http://etender.up.nic.in पर देखे जा सकते है। इच्छुक ठेकेदारों से अनुरोध है कि नियमित रूप से उक्त वेबसाईटो को देखते रहे, क्योंकि निविदाओं के सम्बन्ध में कोई बदलाव अथवा अतिरिक्त सूचना वेबसाईट पर ही उपलब्ध करायी जायेगी। डिजिटल सिग्नेचर धारक ठेकेदार/फर्मो द्वारा ही आनलाइन निविदा डाली जा सकती है।
10. कार्य हेतु निविदा डालने से पूर्व, ठेकेदार/फर्म कार्यस्थल का किसी भी कार्य दिवस में निरीक्षण एवं निविदा प्रपत्रों का पूर्व अध्ययन अवश्य कर लें। ठेकेदार/फर्म द्वारा निविदा में प्रतिभाग किये जाने की स्थिति में यह माना जायेगा कि ठेकेदार/फर्म द्वारा स्थल का निरीक्षण/परीक्षण कर लिया गया है तथा स्थल की भौगोलिक स्थिति विषयक कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
11. निविदादाता के निविदा स्वीकृत/अनुबन्ध गठित होने के उपरान्त यदि यह संज्ञान में आता है कि सम्बन्धित निविदादाता सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यो एवं संगठित आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है, तो उसे प्रदान किया गया अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा, जिसमें किसी भी क्षति की सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता/ठेकेदार की होगी।
12. निविदा के कार्य में सम्मिलित विशेष प्रकृति के कार्य, तत्संबंधी कार्यो हेतु दक्ष अधिकृत एजेन्सी के पर्यवेक्षण में कराने होंगे।
13. उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियोजन तथा सेवा शर्त विनियम नियमावली वर्ष–2009 के विनियम 24 (2) के अन्तर्गत प्रत्येक संविदा के लिए एकल पंजीकरण कराना अनिवार्य है। अतः निविदा स्वीकृति/अनुबन्ध गठन के पश्चात एक सप्ताह के अंदर पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही देयक का भुगतान किया जायेगा तथा प्रत्येक देयक से नियमानुसार लेबर सेस की कटौती की जायेगी।
14. क्रम सं0 2 व 3 पर अंकित कार्यो में यदि कोई बदलाव होता है अथवा घटोतरी/बढौतरी होती है, तो उक्तानुसार फर्म/ठेकेदार को कार्य पूर्ण करना होगा तथा उक्त हेतु फर्म/ठेकेदार को नियमानुसार अतिरिक्त धनराशि/समयवृद्वि इत्यादि यदि आकलित होती है तो नियमानुसार देय होगी।
15. निविदादाता द्वारा दिये गये दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों के गलत पाये जाने पर निविदादाता को अयोग्य समझा जायेगा। यदि फर्जी/गलत दस्तावेजों की जानकारी अनुबन्ध गठन के पश्चात होती है, तो अनुबन्ध उसी समय निरस्त करते हुए दण्ड के रूप में धरोहर धनराशि जब्त करते हुए फर्म को काली सूची में डाला जायेगा।
16. कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण करना होगा। कार्य की मासिक प्रगति निर्धारित मासिक प्रगति चार्ट के अनुसार होनी चाहिये। प्रगति का आंकलन प्रत्येक माह के अन्त में किया जायेगा। विलम्ब की दशा में ठेकेदार को अगले माह के अन्त तक निर्धारित क्यूमुलेटिव प्रगति प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा अनुबन्ध निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नही होगा।
17. निविदा की दर, बी0ओ0क्यू0 में अंकित दरों के सापेक्ष कम या अधिक (Below or Above) अंकित न होने पर, दरें कम (Below) मानी जायेगी।

18. ई–निविदा के साथ निविदादाता को निम्नलिखित प्रमाण–पत्र अपलोड करने अनिवार्य होंगे, जिनके अपलोड न किये जाने की दशा में निविदा सील कर दी जायेगी।

क. फर्म का पैन कार्ड।

ख. फर्म का जी0एस0टी0 प्रमाण–पत्र।

ग. वांछित अनुभव प्रमाण–पत्र।

घ. निविदा प्रपत्र/धरोहर धनराशि के मूल्य से संबधित आर0टी0जी0एस0 का यू0टी0आर0 नम्बर की छायाप्रति निविदा प्रपत्र के साथ अपलोड भी किया जाना आवश्यक होगा।

ड़. फर्म का परिषद में वांछित श्रेणी में पंजीकरण प्रमाण–पत्र।

19. यदि ठेकेदार/फर्म ने स्थायी धरोहर धनराशि (जनरल सिक्योरिटी) जमा की है, तो निविदा के साथ कुल वांछित धरोहर धनराशि व स्थायी धरोहर (जनरल सिक्योरिटी) के अन्तर की धनराशि निविदा के साथ देय होगी।

20. निविदादाताओ/फर्म के निविदा स्वीकृति की दशा में नियमानुसार जमानत धनराशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0 के रुप में, जोकि सम्बन्धित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता के पक्ष में बन्धक हो, निविदा स्वीकृति पत्र के निर्गमन तिथि से 07 कार्य दिवसों के अन्दर जी0पी0डब्लू0–9 फार्म में उल्लिखित क्लाज (1) के अनुसार जमा करनी होगी। निविदा स्वीकृति के उपरान्त निर्धारित अवधि में ठेकेदार को अनुबन्ध गठित कराना होगा अन्यथा की स्थिति में निविदा निरस्त करते हुए, जमा धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

21. अनुबन्ध गठन के समय प्रभावी नवीनतम शासन द्वारा निर्धारित मानक व निविदा की लागत के अनुसार आवश्यक धनराशि की स्टाम्प ड्यूटी देय होगी।

22. यदि निर्माण कार्य की जॉच में गुणवत्ता निम्न स्तर की पायी जाती है अथवा कार्य के निर्धारित अवधि में विलंब होता है तो इसके लिए ठेकेदार/फर्म उत्तरदायी होगी, जिसकी वसूली नियमानुसार फर्म से की जायेगी।

23. शासनादेश सं0–1345/86–2019 दिनांक 15.07.2019 के अनुसार ठेकेदार/फर्म को स्थल पर लाई गयी सामग्री का नियमानुसार रायल्टी का भुगतान कर वैध रवन्ना (E-MM-11) प्रस्तुत करना होगा, जिसे प्रस्तुत न करने की दशा में नियमानुसार कटौती की जायेगी तथा आपूर्तिकर्ता से रायल्टी जमा किये जाने के प्रमाण स्वरूप ट्रेजरी चालान की प्रमाणित प्रति अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करनी होगी। अन्य स्थानों से लायी गयी सामग्री का ISTP उपलब्ध कराना होगा, अन्यथा शासनादेश के अनुसार नियमानुसार निर्धारित रायल्टी की कटौती ठेकेदार/फर्म के देयक से वसूली की जायेगी।

24. कार्य सम्पादित कराये जाने के दौरान, वर्षा या अन्य दैवीय आपदा के कारण किसी प्रकार की हुई क्षति हेतु परिषद द्वारा कोई भुगतान नही किया जायेगा तथा ठेकेदार/ फर्म का कोई क्लेम मान्य नही होगा। कार्यस्थल पर फर्म को सुरक्षा मानकों का पूर्णतया अनुपालन कराना होगा। कार्यस्थल पर किसी कारणवश, हुई क्षति या दुर्घटना हेतु ठेकेदार/फर्म स्वंय ही जिम्मेदार होगी। इस सम्बन्ध में परिषद द्वारा किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति देय नही होगी। कार्यस्थल पर फर्म को कार्य तथा कार्यरत कार्मिकों हेतु सुरक्षा मानको का पूर्णतया अनुपालन कराना होगा।

25. ई–टेण्डरिंग में प्रतिभाग हेतु पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति प्रपत्रों के साथ अपलोड करना अनिवार्य है। ई–टेन्डरिंग में प्रतिभाग हेतु वांछित अर्ह श्रेणी के परिषद में पंजीकृत निविदादाता ही पात्र होगें। वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति निविदा प्रपत्रों के साथ अपलोड करना अनिवार्य है।

26. शासनादेश संख्या–622/23–12–2012–2/आडिट/08–टी0सी0/02 दिनांक 08.06.2012 एवं आवास एवं विकास परिषद के मुख्यालय के पत्रांक–1282/एम–2/दिनांक 02.04.2023 के अन्तर्गत निविदा की दर बी0ओ0क्यू0 से (Below) देने पर ठेकेदार द्वारा अतिरिक्त जमानत धनराशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत एफ0डी0आर0/ सी0जी0आर0/बैंक गारण्टी के रुप में निम्न विवरण के अनुसार देय होगी। वित्तीय बिड खुलने की तिथि से अधिकतम सात दिनों के अन्दर मुख्यालय के आदेश सं0–4196/दिनांक 14.09.2018 के अनुसार जमा करनी होगी अन्यथा निविदा में संलग्न धरोहर धनराशि को जब्त करते हुए निविदा की स्वीकृति पर विचार नहीं किया जायेगा। उक्त परफारमेंस/सिक्योरिटी धनराशि सम्बन्धित शासनादेश में निहित प्रक्रिया के अनुसार अवमुक्त की जायेगी।

(क) 10 प्रतिशत Below दर तक प्रति 1.00 प्रतिशत कम (Below) दर पर 0.50 प्रतिशत।

(ख) 10 प्रतिशत से अधिक Below होने पर प्रति 1.00 प्रतिशत कम (Below) दर पर 1.00 प्रतिशत।

27. निविदादाता/फर्म को तालिका के कालम 3 में अंकित सभी कार्यो की अनुमानित लागत के सापेक्ष पिछले 05 वर्षों में समान प्रकृति के कार्यो को निम्नानुसार यथा

अ. अनुमानित लागत के कम से कम 80 प्रतिशत के समतुल्य का एक कार्य।

अथवा

ब. अनुमानित लागत के कम से कम 50 प्रतिशत के समतुल्य के दो कार्य।

अथवा

स. अनुमानित लागत के कम से कम 40 प्रतिशत के समतुल्य के तीन कार्य।

पूर्ण किये जाने का अनुभव अवश्य होना चाहिए एवं निविदादाता/फर्म को उपरोक्त अनुसार पूर्ण किये जाने का अनुभव प्रमाण पत्र संबंधित विभाग/अनुभाग से प्राप्त कर, अपलोड करने अनिवार्य होंगे।

28. कार्यस्थल पर समय–समय पर शासन/परिषद द्वारा कोविड–19 वैश्विक महामारी एवं मा0 एन0जी0टी0 द्वारा वायु प्रदूषण रोकथाम हेतु जारी दिशा–निर्देशों का अनुपालन करना होगा, जिसके अन्तर्गत आवश्यक व्यवस्थाए फर्म को अपने व्यय पर स्वंय करनी होगी।

29. *निविदा अपलोड करते समय चरित्र प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र जो जिला मजिस्ट्रेट से निर्गत हो, जो वित्तीय निविदा* खुलने के तिथि के पश्चात तक वैध हो, लगाना होगा।

30. ई–निविदा के साथ निविदादाता को प्री–क्वालिफिकेशन की शर्तो/चैक लिस्ट के अनुसार वांछित प्रपत्र अपलोड करने अनिवार्य होंगे।

31. कार्यों को निर्धारित समय के अन्तर्गत, कार्य की प्राथमिकता के अनुसार चरणवार इस प्रकार सम्पादित कराना होगा कि स्थल पर किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो एवं सभी कार्य सुगमतापूर्वक, समयबद्ध/गुणवत्ता के साथ पूर्ण हो सकें।

32. अन्य नियम व शर्तें निविदा की तकनीकी एवं वित्तीय बिड के अनुसार होगी।

33. जी0पी0डब्लू0–9 फार्म में प्राविधानित नियम व शर्तें अनुबन्ध में लागू रहेगी।

34. एन0जी0टी0 सम्बन्धी नियमों का अनुपालन किये जाने हेतु निविदादाता फर्म द्वारा अनुबन्ध गठन के समय शपथ पत्र दिया जाना अनिवार्य होगा।
35. उ0प्र0 शासन/जिला प्रशासन द्वारा निर्माण कार्य से सम्बन्धित दिये गये निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाना होगा।
36. किसी प्रकार के सर्वर आदि के आकस्मिक रुष से विलम्बित होने अथवा सर्वर त्रुटि होने के कारण बिड डाउनलोड/अपलोड करना अथवा परिषद खाते में धनराशि विलम्ब से प्राप्त होने की स्थिति में उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद उत्तरदायी नहीं होगा।
37. कार्य में प्रयुक्त सैम्पल्स की विभाग द्वारा किसी बाहरी एजेन्सी से चौकिंग/टैस्टिंग कराने पर होने वाले व्यय की कटौती, ठेकेदार/फर्म के देयक से की जाएगी।
38. कार्य के विलम्ब होने की स्थिति में, रेरा में प्राविधानित क्लॉज के अनुसार फर्म पर पैनल्टी की बाध्यता लागू होगी।
39. निविदादाता द्वारा कार्य के सम्पादन हेतु आवश्यक मशीनरी के स्व-स्वामित्व/अनुबन्धित हेने सम्बन्धी प्रपत्र निविदा के साथ प्रस्तुत करने होंगे।
40. निर्माण के दौरान, जनसामान्य के सुगम एवं सुरक्षित यातायात आवागमन हेतु साइन बोर्ड लगाना एवं यातायात डायवर्जन हेतु अस्थायी व्यवस्था किया जाना आवश्यक होगा एवं सुरक्षा सम्बन्धित उपायों को अनुपालन करना होगा, जिस हेतु अलग से कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।
41. समस्त कार्य, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद/उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग/उ0प्र0 जल निगम/ MORTH/IRC/ एन0ओ0आर0टी0एस0, यू0पी0पी0सी0एल0 (विद्युत कार्यों हेतु) एवं परिषद की निर्धारित नवीनतम विशिष्टियों के अनुसार कराये जायेगें।
42. निविदा की बी0ओ0क्यू0 में अंकित कार्यों की मात्रा में किसी भी सीमा तक (+/-)परिवर्तन (बढ़ोतरी/घटोतरी) हो सकता है, जिसके लिए ठेकेदार/फर्म का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
43. शासनादेश के अनुसार डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि कार्य एवं उक्त मद में रोकी जाने वाली धनराशि तकनीकी बिड के अनुसार होगी।
44. ठेकेदार/फर्म को प्रत्येक बीजक के साथ उपभोग की गई निर्माण सामग्री की संमान मात्रा में रायल्टी प्रपत्र (MM 11) प्रस्तुत करना होगा। जांच के दौरान अवैध/फोटोप्रति पाये जाने पर नियमानुसार कटौती कर धनराशि राज्य सरकार के खाते में जगा की जायेगी।
45. समग्री की टेस्टिंग (जमेजपदह) ठेकेदार के व्यय पर की जायेगी।
46. निविदा प्रपत्र के साथ ही टी0-4, टी-5, अर्थात वैध चरित्र प्रमाण पत्र एवं हैसियत प्रमाण पर अपलोड करना अनिवार्य है।
47. किसी भी विवाद हेतु न्यायिक क्षेत्र जनपद गाजियाबाद होगा।
48. निविदा बी0ओ0क्यू0 के किसी आइटम के विवरण यदि टंकण त्रुटिवश <u>अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण</u> रह जाता है तो उस आइटम का विवरण UPPWD SOR/DSR के सम्बन्धित आइटम का विवरण ही मान्य होगा।
49. समस्त कार्य उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद/उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग/उ0प्र0 जल निगम की अद्यतन विशिष्टियों के अनुसार कराये जायेगें।
50. फर्म के नाम अथवा फर्म द्वारा लीज/किराये पर लिया गया हॉट मिक्स प्लान्ट से सम्बन्धित प्रपत्र निविदा के साथ अपलोड किया जाना अनिवार्य है।
51. फर्म के नाम अथवा फर्म द्वारा लीज/किराये पर लिया गया आर0एम0सी0 प्लान्ट/Batch mix Plant से सम्बन्धित प्रपत्र निविदा के साथ अपलोड किया जाना अनिवार्य है।
52. निर्माण स्थल पर कार्य करने के दौरान यदि किसी प्रकार की सर्विसेस क्षतिग्रस्त होती है तो सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म को अपने व्यय पर मरम्मत करानी होगी।
53. निर्माण स्थल पर खुदाई करते समय यदि कोई वृक्षारोपित पौधों को नुकसान होता है तो उसे अपने व्यय पर दूसरे स्थल पर स्थानान्तरित/रोपित करना होगा।

(अजय कुमार मित्तल)
अधीक्षण अभियन्ता

पृ0सं0 /उक्त/ दिनांक-

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. मुख्य अभियन्ता महोदय, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गांधी मार्ग लखनऊ।
2. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
3. इन्चार्ज, कम्प्यूटर सेल, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गांधी मार्ग लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त ई-निविदा सूचना को परिषद की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
4. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड गाजियाबाद-01/02/03, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, गाजियाबाद।
5. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड बागपत-01/02/03, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, मण्डोला विहार, गाजियाबाद।
6. सहायक अभियन्ता(तक0), निर्माण खण्ड-गाजियाबाद-02, गाजियाबाद।
7- नोटिस बोर्ड।

अधीक्षण अभियन्ता